

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—
प्रेषक,

मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-09 / 2025 -49

/पटना, दिनांक— 13.01.2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:—

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद् में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद् के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजना के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 30 करोड़ से अधिक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:—


Sl No.	Division	Block	Project ID	Road Name	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with Minor improvement, Strengthening and Widening and Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost [@ 2.25% + 1%] (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Muzaffarpur East-1	Sakra	31507202367	T03 - Mansurpur to Beruadih (ODR 2)	14.38	2357.43	181.57	380.85	82.53	3002.38

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -103-सामान्य मद् के लिए योजना, उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद्), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 37-4515-00-103-0121, मूल बजट उपबंध-625 करोड़ रु0 है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक- 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 14 के अनुसार प्राप्त मूल बजटीय उपबंध के तीन गुणा राशि (1875 करोड़ रुपये) में से वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सृजित दायित्व की राशि (1499.75 करोड़ रुपये) घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति दी जानी है। इसके अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.08.2024 को निर्धारित Bank of Sanction के आगे 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिसके आलोक में कुल उपलब्ध राशि रु0 1875.25 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष मे दी जा सकती है। वर्णित पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।


4. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
5. सारणी में अंकित योजना के निविदा निष्पादनोपरांत कार्य का सम्पादन एवं क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. वर्णित योजना से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर किये गये प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत नवीनीकरण/उन्नयन/ पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में नहीं हो।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
16. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप लोक वित्त समिति की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। लोक वित्त समिति की सहमति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-09/2025 के पृ0-05/टि0 पर दिनांक- 07.01.2025 को प्राप्त है।
19. सारणी में अंकित योजना के प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-09/2025 में दिनांक-10.01.2025 को प्राप्त है।


विश्वासभाजन


(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-09/2025 - 49 /पटना, दिनांक- 13-01-2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-09/2025 - 49 /पटना, दिनांक- 13-01-2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव